अमर उजाला

बरेली
मंगलवार, 15 अक्तूबर 2019

PAGE NO. 7 : LEFT TOP

एकेटीयूः गलत बोर्ड या प्रमाणपत्र पर मिला प्रवेश तो 10 लाख तक जुर्माना

लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) द्वारा संबद्ध कॉलेजों में लिए गए प्रवेश की मूल डाक्यूमेंट के साथ सत्यापन 18 अक्तूबर से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में किसी संस्था में प्रवेशित विद्यार्थी के नामांकन फार्म में फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी विश्वविद्यालय-बोर्ड का पाए जाने पर 01 से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। रजिस्ट्रार नंदलाल सिंह ने सभी संबद्ध निदेशक व प्राचार्यों को पत्र भेजकर बताया है कि संस्था कोड के अनुसार 18 अक्तूबर से 15 नवंबर तक नवप्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन आवेदनों की मूल प्रति से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थित सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज (कैस) व नोएडा कैंपस स्थित डिजाइन इंस्टीट्यूट में मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कॉलेज विद्यार्थियों के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक की अंकतालिका और छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मूल नामांकन पत्र के साथ निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित हों। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट aktu.ac.in पर उपलब्ध है। ब्यूरो